अमन समीर, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला पंचायत शाखा)

बिहार सरकार

Aman Samir, I.A.S.
District Magistrate,
Saran, Chpapra

Email ID:-dpro-sr-bih@nic.in Website:- https://saran.nic.in

पत्रांक :- 4109 /जि0 पंचायत

दिनांक :- 20/12/2024

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

विषयः- सारण जिला अन्तर्गत प्रखंड सोनपुर के ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर के उप मुखिया के रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु तिथि निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक-2004 दिनांक-10.08.2024 के द्वारा प्रखंड सोनपुर के ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर के उप मुखिया के विरूद्ध दिनांक-25.01.2024 को आयोजित विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त होने के कारण रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया गया था। परन्तु पूर्व में भेजे गए प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं होने के कारण पुनः प्रतिवेदन की मांग की गई है।

अतः पुनः सुलभ प्रसंग हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक-2477 दिनांक-25.10.2024 के साथ वांछित प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रखंड सोनपुर के ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर के उप मुखिया पद पर निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

20/12/24

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित चेक लिस्ट

क्र0सं0	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रखंड का नाम	सोनपुर
2	पंचायत का नाम	परमानंदपुर
3	पदनाम	उप मुखिया
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक	2477/25.10.2024
5	प्रपत्र – 3	संलग्न है।
6	बैठक की कार्यवाही	संलग्न है।
7	तमिला प्रतिवेदन	संलग्न है।
8	अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय	अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पद रिक्ति है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर (सारण)

Mob. No.- +91-9431818536
Email: bdo.son-sr-bih@nic.in

पत्रांक- 2477 /
दिनांक- 25.10.24

2035
25-10-24

प्रेषक,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सोनपुर, सारण।

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

विषयः- ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर के उप-मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः- भवदीय पत्रांक-2317/जि0 पंचायत, दिनांक-04.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर के उप-मुखिया के विरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव लगाया गया, जिसके संबंध में दिनांक-25.01.2024 को ग्राम पंचायत मुखिया के अध्यक्षता में बैठ्क की गई, बैठ्क मे ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुनाव कराने की मांग की गई। पूर्व में इसका प्रतिवेदन दिया गया था परन्तु भूलवश जिस प्रतिवेदन को संलग्न करने की आवश्यकता थी, वह संलग्न नही हो पाया था। मांग की गयी प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतएव ग्राम पंचायत कार्यालय परमानंदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में तिथि निर्धारण कर उप-मुखिया का चुनाव करने की मांग की गई है।

अतः अनुरोध है कि ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर के उप-मुखिया के पद के लिए जल्द-से-जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि परमानंदपुर ग्राम पंचायत का कार्य सूचारु रुप से हो सके।

अनुलग्नकः- 2 पन्ना।

विश्वासभाजन

25/10/24

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सोनपुर, सारण।

प्रखंड विकास पदाधिकारी
सोनपुर, सारण

नरेन्द्र कुमार सिंह, बि०प्र०से०
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सारण, छपरा
Email:- dpro-sr-bih@nic.in

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला पंचायत शाखा)

बिहार सरकार

Narendra Kumar Singh, B.A.S
District Panchayat Raj Officer,
Saran, Chapra
Web:-https://saran.nic.in

पत्रांक..2517...../जि० पंचायत दिनांक....04/9/2024

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
सोनपुर, सारण।

विषयः- प्रखंड सोनपुर के ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-3300 दिनांक-21.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि सोनपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन भेजा गया था। जिसमें आयोग द्वारा समीक्षोपरान्त दो बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गई है।

अतः प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर नियमानुसार जाँच कर अपने सुस्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु०:- यथोपरि।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला पंचायत कार्यालय

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

जिलाधिकारी एवं समाहर्ता
... AUG 2024
सारण, छपरा

OS कार्यालय
R.R. No. 4-8-0 Date. 23/8/24

पत्रांक पंoनिo 30–80/2024–3300
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सारण।

पटना, दिनांक– 21.8.24

विषयः– प्रखण्ड सोनपुर के ग्राम पंचायत परमानंदपुर के उप मुखिया के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 2004 दिनांक 10.08.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रखण्ड सोनपुर के ग्राम पंचायत परमानंदपुर के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि –

1. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4)(ii) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत मुखिया को संबोधित कर दिया जाना है, जबकि प्रखण्ड सोनपुर के ग्राम पंचायत परमानंदपुर के उप मुखिया के विरूद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव संबंधी अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत मुखिया को न कर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक की सूचना मुखिया द्वारा निर्गत किया गया है जबकि पंचायत सचिव द्वारा निर्गत होना चाहिए। जो नियमानुकूल नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रखण्ड सोनपुर के ग्राम पंचायत परमानंदपुर के उप मुखिया के रिक्त पद पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है परंतु आयोग विशेष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में तटस्थता एवं अहस्तक्षेप का अभिमत रखता है।

अनुरोध है कि उक्त आलोक मे अग्रेतर कारवाई हेतु पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन
21/8/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पंoनिo 30–80/2024–3300 पटना, दिनांक – 21.8.24

प्रतिलिपि : आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रपत्र–3

ग्राम पंचायत उप मुखिया/ग्राम कचहरी उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन

(बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के तहत)

25।

जिला – सारण प्रखंड – सोनपुर ग्राम पंचायत/~~ग्राम~~ कचहरी – परमानंदपुर

श्री/ श्रीमती ....बेबी देवी.......................... ग्राम पंचायत उप मुखिया/~~ग्राम कचहरी~~

~~उप सरपंच~~ के विरूद्ध दिनांक ....19/01/2024....को अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक।

क्रमांक	विवरण	प्रतिवेदन
1	ग्राम पंचायत सदस्य/ ग्राम कचहरी पंच के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या	14
2	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के अधीन अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने हेतु अध्यपेक्षा की गई अथवा नहीं ?	अध्यपेक्षा करने वाले सदस्यों की संख्या – 8 (साक्ष्य संलग्न करें।)
3	अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के क्रम में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के परन्तुक को दृष्टिपथ में रखा गया है अथवा नहीं ?	उप मुखिया/ उप सरपंच के विगत निर्वाचन की तिथि – 27/12/2021 इसके पहले कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ? नहीं
4	अविश्वास प्रस्ताव बैठक की सूचना किस तिथि को निर्गत हुई तथा बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 06 के प्रावधान के आलोक में सूचना प्राप्त करा दी गई है ?	निर्गत सूचना का पत्रांक/ दिनांक – 01/22.01.2024 किस तिथि तक सूचना प्राप्त करा दी गई ? 22/01/2024
5	बैठक की सूचना में कारण/आरोप जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अंकित की गई है अथवा नहीं।	हाँ (साक्ष्य संलग्न करें।)
6	बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या –	12
7	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के आलोक में बैठक की अध्यक्षता करने वाले का नाम एवं पदनाम –	अशोक राय (मुखिया)
8	उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक के क्रम में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श/ चर्चा हुई ?	हाँ
9	गुप्त मतदान की स्थिति में कितने सदस्यों द्वारा मतदान में भाग लिया गया ?	12
10	अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त मतों की संख्या –	09
11	अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में प्राप्त मतों की संख्या –	03
12	अवैध/ रद्द मतों की संख्या –	शून्य
13	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत/ ग्राम कचहरी के कुल निर्वाचित सदस्यों/ पंचों एवं मुखिया/ सरपंच की संख्या के साधारण बहुमत से पारित हुआ अथवा नहीं ?	हाँ
14	बैठक आरम्भ होने तथा समाप्त होने का समय –	12 बजे अपराह्न से 02 बजे अपराह्न तक
15	बैठक के सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई है ?	हाँ
16	बैठक की कार्यवाही अभिलिखित किया गया अथवा नहीं ?	हाँ (कार्यवाही संलग्न करें।)
17	अभियुक्ति/ अन्यान्य –	—

स्थान – परमानंदपुर

दिनांक – 25/01/2024

25.01.24

प्रखंड विकास पदाधिकारी
का हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

प्रखंड विकास पदाधिकारी
सोनपुर, सारण

A O PM-5 Observer/18 Print 205

250

आज दिनांक – 25/01/2024 को ग्राम
उ० म० वि० मिनापुर के प्रांगण में दिन के
12 बजे पंचायत के मुखिया श्री अशोक राय
की अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों के द्वारा
उपमुखिया के खिलाफ लाये गये अविश्वास
प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक आहूत
कि गई। जिसमें निम्न हस्ताक्षरित ने
भाग लिए।

अशोक राय

[signature] 25-01-24 मुखिया
सचिव पर्यवेक्षक परमानंदपुर
पंचायत BPRO

क्रम	वार्ड सदस्य का नाम		हस्ताक्षर
1	अरुण कुमार यादव	(08)	Arun Kr Yadav
2	राहुल कुमार राय	(01)	राहुल कुमार राय
3	दिलीप कुमार	(14)	दिलीप कुमार
4	अखिलेश्वर साह	(09)	अखिलेश्वर साह
5	मीना देवी	(02)	मीना
6	सरिता कुमारी	(11)	सरिता कुमारी
7	कुन्ती देवी	5	कुन्ती देवी
8	अनिल कुमार शर्मा	07	Anil kr Sharma
9	बेबी देवी	01	बेबी देवी
10	महेश बैठा	06	महेश बैठा
11	कुसुम देवी	12	कुसुम देवी
12	नेहा कुमारी	3	Neha Kri

(250)

आज दिनांक - 25/01/2024 को लोक उ० म० वि० [illegible] के प्रांगण में दिन के 12 बजे आम में मुखिया श्री अशोक राय की अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों के द्वारा उपमुखिया के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक आहूत कि गई। जिसमें निम्न हस्ताक्षरित ने भाग लिये।

अशोक राय

[illegible] [illegible]-01-24 मुखिया

सचिव पर्यवेक्षक परमानंदपुर

परमानंदपुर BPRO

वार्ड सदस्य का नाम		हस्ताक्षर
1 अरुण कुमार यादव	(08.)	Arun Kr. Yadav
2. राहुल कुमार राय	(01)	राहुल कुमार राय
3 दिलीप कुमार	(14)	दिलीप कुमार
4 अखिलेश्वर साह	(09)	अखिलेश्वर साह
5 मीना देवी	(02)	मीना
6 सरिता कुमारी	(11)	सरिता कुमारी
7 कुन्ती देवी	5	कुन्ती देवी
8 अनिल कुमार शर्मा	07	Anil Kr Sharma
9 बेबी देवी	01	बेबी देवी
10 महेश बैठा	06	महेश बैठा
11 कुसुम देवी	12	कुसुम देवी
12 नेहा कुमारी	3	Neha Kri

CamScanner

प्रस्ताव सं० 01 - अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कि गई

प्रस्ताव सं० 2 - उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष जानने की बात पर प्रस्ताव लाया गया

प्रस्ताव सं० 3 - कुल - 12 उपस्थित सदस्यों के द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग लिया गया एवं मतपत्र डाला गया

प्रस्ताव सं० - 4 कुल मतपत्र - 12
अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में - 09
अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध - 03
स्पष्ट है कि कुल उपस्थित 12 सदस्यों में से बहुमत कुल - 09 सदस्यों द्वारा वर्तमान उपमुखिया के विरुद्ध लाये गए अविश्वास मत के पक्ष में मतदान किया गया

प्रस्ताव सं० - 5 - लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत द्वारा पारित किया गया आज कि तिथि से उपमुखिया का पद रिक्त हो गया, उपरोक्त प्रस्ताव पर जनप्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

(1) महेश केवट वार्ड सं० - 6

(2) हेमनी देवी वार्ड - 10

(3) कुसुम देवी वार्ड - 12

Date (Page)

248

(4) कुन्ती देवी 5

(5) मीना — वार्ड - 2

(6) सरिता कुमारी 11

(7) नेहा कुमारी - 3

(8) अरुण कुमार यादव — वार्ड - 8

(9) राहुल कुमार राय 01

(10) अनिल कुमार शर्मा 4

(11) अखिलेश्वर साह — 09

(12) दिलीप कुमार (14) वार्ड

अध्यक्ष के आदेश के पश्चात् बैठक की कारवाई धन्यवाद ज्ञापन देते समाप्त कि जाती है।

अशोक राय
मुखिया

(242)

सेवा में,

मुखिया जी ग्राम पंचायत राज परमानंदपुर,
सोनपुर प्रखण्ड कार्यालय, सारण।

विषय— परमानंदपुर पंचायत के उप—मुखिया पर वार्ड सदस्य के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि उप मुखिया श्री बेबी देवी पति— श्री नागेन्द्र राय पर दो वर्षों के पश्चात् निम्नलिखित कारणों से अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता हैं।—

निर्वाचन के दो वर्षों के कार्यकाल में उप मुखिया के द्वारा कभी भी किसी प्रकार का पंचायत नहीं बुलाई गई।

निर्वाचन होने के दो वर्षों के कार्यकाल में उप मुखिया के द्वारा कभी भी किसी प्रकार का पंचायत संबंधी जानकारी नहीं दी गई।

उप मुखिया श्रीमति बेबी देवी द्वारा पंचायत के विकास कार्य को अनदेखी किये। जिसके कारण गाँव के सभी वार्ड का विकास कार्य बाधित हुआ। उपरोक्त बातों से असंतुष्ट होकर हमलोग उप—मुखिया श्रीमति बेबी देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगा रहे हैं, जिसे स्वीकार करना आवश्यक हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए अविलंब उप—मुखिया श्रीमति बेबी देवी पर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, एवं समय पर चुनाव प्रक्रिया चालू करने की कृपा की जाए। ताकि पंचायत का विकास हो सके।

प्रतिलिपि—1. श्रीमान् जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय, छपरा सारण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।
2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी महोदाय सोनपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।
3. प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, सोनपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।
4. पंचायत सचिव, परमानंदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

सरिता कुमारी 11

आपका विश्वासी,

अखिलेश्वर साह - 09
कुसुम देवी - वार्ड 1
राहुल कुमार राय 10
मिना 02
रोमता देवी 04
अर्जुन कुमार यादव 08
Dileep Kumir. 14

[signature]
मुखिया
पंचायत राज परमानंदपुर
प्रखण्ड—सोनपुर (सारण)

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –.....01.....   दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ....राहुल कुमार राय....

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–....01......

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :-

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

राहुल कुमार राय 01

पंचायत सचिव,

ग्राम पंचायत--परमानंदपुर

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –...01.....   दिनांक 22/01/2024

<u>सूचना</u>

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ...सरिता देवी.......................

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–...02......

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :-

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

मिना 02

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

(244)

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –01........ दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ......रेखा कुमारी

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0-...03....

दिनांक-19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति- नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक-25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :-

1. उप-मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

अनिल कुमार

वार्ड 03 के पति

पंचायत सचिव,

ग्राम पंचायत-परमानंदपुर

243

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –...01......   दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ......रीमता देवी......

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–...04.....

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

रीमतादेवी

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –...01.....   दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ....कान्ती देवी.........

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–....05....

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति- नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :-

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत-परमानंदपुर

चन्द्रशेखर साह
वार्ड 05 के पति

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –01/....... दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ...[illegible]...

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–..06......

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

पंचायत सचिव,

ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

सुनीता देवी

वार्ड 06 के पत्नी

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

दिनांक 22/01/2024

पत्रांक –01

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती अनिल कु० शर्मा

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–07

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती **बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

रामसकलबाल शर्मा
07 वार्ड पिता

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –01/.....   दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ....अरुण कुमार यादव....

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0-....03...

दिनांक-19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति- नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक-25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :-

1. उप-मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

पंचायत सचिव,

ग्राम पंचायत-परमानंदपुर

अरुन कुमार यादव

(238

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –01 दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती अखिलेश्वर साह

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–09

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

अखिलेश्वर साह

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

237

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –01 दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती बेबी देवी

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–10

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

@10

बेबी देवी

236

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –...01.....

दिनांक...27/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ...सरिता कुमारी...

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–...11.......

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

सरिता कुमारी

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –..01..... दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती ..कुसुम देवी..

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–..12..

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरूवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

पंचायत सचिव,

ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

कुसुम देवी

(234

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –01 दिनांक 23/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती सुधीर कुमार

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–13

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरुवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त वातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

दीपू कुमार राय
वार्ड -13

(Relation भतीजा)

233

कार्यालय, ग्राम पंचायत–परमानंदपुर, सोनपुर, सारण।

पत्रांक –01

दिनांक 22/01/2024

सूचना

प्रेषित,

श्री/श्रीमती दिलीप कुमार

ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रा0नि0क्षे0सं0–14

दिनांक–19.01.2024 को 08 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, उपमुखिया श्रीमती बेबी देवी, पति– नागेन्द्र राय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–25.01.2024 दिन गुरुवार, समय 12:00 बजे अपराह्न मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवपुर पर आहुत की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :–

1. उप–मुखिया द्वारा कभी वार्ड सदस्यों की बैठक नही बुलायी गयी।
2. अपने कार्यकाल में पंचायत संबंधित जानकारी नही दी गयी।
3. विकास कार्य को अनदेखा के कारण वार्ड का विकास कार्य बाधित।
4. उपरोक्त बातो से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लगाना आवश्यक है।

पंचायत सचिव,

ग्राम पंचायत–परमानंदपुर

DileeP Kumir. 14